(15)

93469

No.Peshi- II/24(11)/2014- Public Hearing-
Office of the Deputy Commissioner, Sirmaur District, Nahan

Dated, Nahan the 21 June, 2014

To

The Member Secretary,
H.P.State Pollution Control Board,
Phase III, New Shimla, Himachal Pradesh

Subject:- Public hearing of M/s Allstone Mines & Minerals Pvt. Ltd.,Rampur Ghat, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, Distt Sirmaur, HP for the Collection of minor mineral (Sand, Stone & Bajri) from river Giri with production capacity 3.0 LTPA, at Khasra no. 431/322/1 Area-19.8416 ha, Village Mohkampur Navada, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Sir

Please refer to your office vide letter no HPSPCB.(834)/M/s All Stone Mines & Minerals Pvt.Ltd./Paonta Sahib/Sirmaur/13-24489-99 dated 25.02.2014 on the above cited subject.

In this regard, it is state that the public hearing of Allstone Mines & Minerals Pvt. Ltd. was held at Village Mohkampur Nawada, Paonta Sahib, District Sirmaur on 29.03.2014 under the chairmanship of the undersigned and the minutes along with CD(s) of the same are enclosed herewith for favour of information and further necessary action at your end please.

It is further stated that the publicity for the said public hearing was made by the department by way of beating of drum in the area concerned. Besides, the notice of said Public Hearing was published in daily news papers named 'Aapka Faisla' dated 26.02.2014 in Hindi and 'The Times of India' dated 27.02.2014 in English. In this regard, it is observed that the said Hindi news paper, 'Aapka Faisla' is not popular in area concerned and the latter news paper has very little/negligible circulation in the local area of district Sirmour. Hence publication of an important public notice in such news papers, does not solve the desired purpose of proper publicity. Some people have raised certain objections about the functioning of said mine and also questions over the appropriateness of the mode of publicity done for the purpose of public hearing in the area. It is, therefore, suggested that in future the notice for all such public hearings may be got published in such news paper(s) as have wide readership and proper circulation in the area concerned.

Yours faithfully,

Encls:- Minutes & CD(s)

(Manmohan Sharma),
Addl. Deputy Commissioner.

आज दिनांक 29.03.2014 को माननीय श्री मनमोहन शर्मा, अतिरिक्त जिलाधीश, जिला सिरमौर, की अध्यक्षता में मैसर्स आलस्टोन माईसं एण्ड मिनरल्स प्रा0 लि0 ग्राम रामपुरघाट डा0 शिवपुर तहसील पांवटा साहिब द्वारा अपनी रामपुरघाट मे स्थित लीज भूमि खसरा नम्बर 431/322/1 तादादी 19–8416 हैक्टयर भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन को 3.0 लाख टन प्रतिवर्ष करने की प्रस्तावना बारे हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड पांवटा साहिब की सौजन्य से लोकजन सुनवाई का आयोजन ग्राम नवादा तहसील पांवटा साहिब में किया गया1 जिसमें गठित समिति के सदस्य एंव सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो सूची अनुबन्ध क पर है1

–0–

सर्व प्रथम हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता, श्री अविनाश कुमार शारदा द्वारा अध्यक्ष महोदय का जन सुनवाई हेतु स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति पर जन सुनवाई को प्रारम्भ किया गया1 अधिशासी अभियनता ने बताया कि मैसर्स आलस्टोन माईसं एण्ड मिनरल्स प्रा0 लि0 ग्राम रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब द्वारा अपनी रामपुरघाट मे स्थित लीज भूमि खसरा नम्बर 431/322/1 तादादी 19–8416 हैक्टयर भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन को 3.0 लाख टन प्रतिवर्ष करने की प्रस्तावना के लिये अनुमति दी जानी प्रस्तावित है जिसके लिये लोक जन सुनवाई का आयोजन किया गया है1 उन्होने संग्रह/खनन उत्पादन से होने वाले प्रभावो के लिये लोगो से आपत्तियों तथा सुझावो को अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखने का आह्वान किया तथा कहा कि कोई भी व्यक्ति उक्त लीज भूमि से खनन/संग्रह से किसी भी प्रकार की आपत्ति आशंकायें हो तो वे निर्भय होकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है1 अध्यक्ष महोदय ने जन सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा खनन से होने वाले प्रभावों व सुझावों एंव आपत्तियों को यथा स्वरूप सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत करेगें तथा आह्वान किया कि वे बिना किसी भय से निर्भिक हो अपनी आपत्तियों व सुझाव जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कर सकते है1

मैसर्स आलस्टोन माईसं एण्ड मिनरल्स प्रा0 लि0 रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब के प्रतिनिधि द्वारा अपनी रामपुरघाट मे स्थित लीज भूमि खसरा नम्बर 431/322/1 तादादी 19–84 बीघा भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन के लिये प्रस्तावित खनन के बारे विस्तार से विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत की तथा बताया कि खनन उत्पादन क्षमता को 3.0 लाख प्रतितवर्ष करने का प्रस्ताव है जिससे कोई पर्यावरण का नुकसान न होगा तथा अवगत कराया कि नदी के बहाव को बाधित किये बिना ही खनिजों का संग्रह/खनन किया जायेगा तथा खनन कार्य आधा मीटर की स्तारस में नदी तल के मध्य से शुरू होकर किनारों की ओर किया जायेगा तथा किनारों की सुरक्षा हेतू किनारो पर 3 मीटर का बैरीयर छोड कर ही खनन किया जायेगा एंव खनिज को नदी के किनारे इक्टठा नहीं किया जायेगा1 1 इससे कोई जल प्रदूषण की सम्भावना नहीं है तथा ना ही कोई खनन के लिये विस्फोटन का इस्तेमाल किया जायेगा तथा खनन कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरणो की ध्वनि अस्थाई होगी जिससे कोई वायु प्रदूषण न होगा उन्होने स्पष्ट किया कि खनन का कार्य पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही किया जायेगा तथा खनन का कार्य केवल दिन के समय ही किया जायेगा1 इसके अतिरिक्त खनन के बाद सडक किनारे तथा नदी के आसपास क्षेत्र की भूमि पर व्यापक रूप से पौधारोपण किया गया जायेगा 1 उन्होने बताया कि खनन क्षेत्र में कोई आबादी व ग्राम इत्यादि न हैजन सुनवाई के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूर्व में खनन द्वारा किये गये खनन कार्य से किसी भी प्रकार के नुकसान तथा उनके आचारण के बारे लोग अपने सुझाव निर्भय होकर प्रस्तुत कर सकते है तत्पश्चात निम्नलिखित व्यक्तियों ने अपने सुझाव व आपत्यिां व्यक्त कीः–

क.स.	नाम पता एंव विवरण	निवारण
1	श्री पुरूषोतम सिंह नि0 ग्रम हरिपुर टोहाना ने जन सुनवाई के दौरान कहा स्टोन केशर के कारण प्रदूर्षण होता है तथा खनन कार्य दिन रात किया जाता है जिस कारण लोगो को परेशानी का सामना करना पडता है1 उन्होने व्यक्त किया कि इससे फसलो को नुकसान होता है1 खनन के कारण रास्ते बन्द हो गये है तथा शमशानघाट भी बन्द हो गया है1 उन्होने व्यक्त किया कि अवैध खनन किया जाता है तथा कार्य लीज भूमि में दिखाया जाता है तथा इन्हें लीज के पटटे दिये गये है उनका लोगो को पता न है तथा खनन कार्य करने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की 1	हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता ने स्पष्ट किया कि जन सुनवाई केवल लीज भूमि पर खनन कार्य के लिये आयोजित की गई है ना कि केशर के लिये अतः आग्रह किया कि केवल लीज भूमि से खनन कार्य से होने वाले प्रभावों तथा आपत्तियों को ही प्रस्तुत किया जाये1 खनन प्रबन्धन द्वारा आशवासन दिया गया कि वे केवल लीज भूमि पर ही खनन का कार्य प्रदूर्षण विभाग द्वारा तय किये गये मापदण्डो के अनुसार ही करेगें तथा सदैव स्थानीय ग्रामीणो के सहयोग के लिये तैयार रहेगे1
2	श्री जगदीश चन्द नि0 कांशीपुर ने गिरी नदी में खनन कार्य किये जाने से आस पास के क्षेत्र में इन कार्यो में लगे लोगो द्वारा काफी गन्दगी फैलाई जा रही है, सडके टूट रही है1 उन्होनें व्यक्त कि खनन से ज्यादा नुकसान न है पर स्थानीय लोगो को रोजगार नहीं दिया जा रहा है तथा मजदूरो को कम मजदूरी दी जा ही है तथा आग्रह किया कि उन्हें डबल मजदूरी दी जाये1 उन्होने व्यक्त किया कि केशर लगने से प्रदूर्षण बढेगा1 उनके द्वारा खनन कार्य का विरोध किया गया1	खनन प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि खनन कार्य के लिये स्थानीय लोगो को लगाया गया है जिस बारे लोगो ने रोष प्रकट किया तथा बताया कि बाहरी लोगो को कार्य में लगाया गया है जिनका कोई रिकार्ड न है1 प्रबन्धन वर्ग ने स्पष्ट किया कि लोगो के लिये उनके द्वारा चार शौचलाओं का निर्माण किया गया जिसे बारे आपत्तिकर्ता ने व्यक्त किया कि वह केवल खनन के कार्यो के लिये स्टाफ के लिये ही है1 अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि खनन प्रबन्धन को खनन कार्य में रखे गये लोगो का पूर्ण रिकार्ड अपने पास सदैव उपलब्ध रखें जिससे ज्ञात हो सके कि कितने लोग इस कार्य में लगे हुये है 1 प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया कि खनन कार्य में लगे सभी लोगो का यथोचित रिकार्ड बनाया जाकर रखा जायेगा तथा लोगो के सुविधा के लिये शौचालय बनाने का भी आश्वासन दिया गया जिससे क्षेत्र मे गदंगी न फैले1
3	श्री ओमप्रकाश उपाध्यक्ष किसान सभा पांवटा इकाई नि. कांशीपुर ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्त किया कि खनन से क्षेत्र में नुकसान हो रहा है तथा खनन कार्य में लगे लोगो को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है1 उनके द्वारा खनन कार्य का विरोध किया गया1	प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया खनन कार्य में लोगो को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी तथा दवाईयां भी प्रदान की जायेगी1
4	श्री जोगिन्द्र सिंह नि0 अकालगढ ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्त कि कि गिरी नदी के साथ 1998 मेंउसकी भी 7–0 बीघा भूमि लगती थी तथा 3 बीघा भूमि नदी में चली गई है खनन का कार्य मलकियती भूमि से भी किया जा रहा है तथा 10–10 फुट गडडे कर दिये गये है तथा मजदूरों द्वारा काफी गंदगी फैलाई जा रही है1उन्होने व्यक्त किया कि दिन रात केशर चल रहे है1 उनके द्वारा खनन कार्य का विरोध किया गया1	प्रबन्धन वर्ग ने आशवासन दिया कि उनके द्वार केवल लीज भूमि पर ही खनन किया जायेगा तथा खनन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अन्तगर्त ही लीज भूमि पर खनन किया जायेगा तथा यह भी आश्वासन दिया लीज भूमि पर लगे मजदूरों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को रोकने के पर्याप्त उपाय किये जायेगें तथा उनके लिये शौचलायों का निर्माण करवाया जायेगा1

5	श्री देविन्द्र सिंह नि0 ग्राम अकालगढ तहसील पांवटा ने व्यक्त किया क्षेत्र में दिन रात ट्रैक्टर चलते रहते है तथा उनकी भूमि से भी खनन/खनिजो उठाया जा रहा है जिसे रोका जाये1 उनके द्वारा खनन कार्य का विरोध किया गया1	प्रबन्धन वर्ग ने आशवासन दिया कि वे केवल लीज भूमि से ही खनिजों का संग्रह/खनन कार्य करेगें तथा किसी की निजी भूमि से कोई खनिज नहीं उठाया जायेगा1 अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि कैसे स्पष्ट हो सकता है कि नदी से जो ट्रैक्टर खनिज लेकर आ रहे है वह लीज भूमि से ही उठा रहे अथवा अन्य स्थानों से इनको चिन्हित किया जाना आवश्यक है1 प्रबन्धन वर्ग ने अध्यक्ष महोदय से सहमति जताते हुये आश्वासन दिया कि उनकी लीज भूमि से खनिजों के आवागमन के लिये प्रयुक्त ट्रैक्टरों चिन्हित करेगे जिससे स्पष्ट हो सके कि खनन कार्य उनकी लीज भूमि से ही किया जा रहा है तथा उसका पूरा रिकार्ड रखा जायेगा1
6	श्री दर्शन सिंह नि0 ग्राम अकालगढ ने व्यक्त किया कि केशर वालो द्वारा नदी किनारे काफी गडडे डाल दिये गये है तथा कुओं का पानी सूख गया है तथा पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है1 आग्रह किया कि बजरी का ठेका दिया 1इसके अतिरिक्त व्यक्त किया केशर बन्द होने के बावजूद भी चल रह है1 तथा एक मीटर से ज्याद गहराई पर खनन किया जा रहा है तथा खनन का विरोध किया 1	प्रबन्धन वर्ग ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा केवल लीज भूमि पर ही संग्रह/खनन का कार्य ही किया जा रहा है तथा आश्वासन दिया विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डो तथा नियत स्तर की गहराई तक ही केवल लीज भूमि पर खनिजों का संग्रह/खनन किया जायेगा1
7	श्री जोगा सिंह नि0 ग्राम अकालगढ ने व्यक्त किया खनन कार्य में लगे मजदूरो द्वारा काफी गंदगी फैलाई जा रही है तथा कृषि करना मुश्किल हो गया है1	प्रबन्धन वर्ग आश्वासन दिया लीज भूमि पर लगे मजदूरों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को रोकने के पर्याप्त उपाय किये जायेगें तथा उनके लिये शौचलायों का निर्माण करवाया जायेगा1
8	श्री साबीर अली नि0 नवादा ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्त किया कि जो खनन कार्य किया जा रहा उसका निरीक्षण किया जाता है कि वह स्वीकृत लीज भूमि पर ही किया जा रहा है या नहीं 1उन्होनें व्यक्त किया कि अवैध खनन हो रहा है तथा नदी में 10–10 फुट गडडे डाल दिये गये है1 उन्होने व्यक्त किया कि स्वीकृत मात्रा से कहीं अधिक खनन का कार्य किया जा रहा है जिससे सरकार के राजस्व को काफी हानि भी हो रही है1 उनके द्वारा खनन कार्य का विरोध किया गया1	प्रबन्धन वर्ग ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा केवल लीज भूमि पर ही संग्रह/खनन का कार्य ही किया जा रहा है तथा आश्वासन दिया विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डो तथा नियत स्तर की गहराई तक ही केवल लीज भूमि पर खनिजों का संग्रह/खनन किया जायेगा1 उन्होने स्पष्ट किया उनके द्वारा लीज भूमि से जितना खनिजों का संग्रह/खनन किया जाता है उसका पूरा रिकार्ड सम्बन्धित विभाग के पास उपलब्ध है1 अध्यक्ष महोदय ने आश्वरत किया कि उनके विचार/आपत्ति है उसे अक्षरक्ष सीडी में रिकार्ड कर लिया गया तथा उसे कार्यसूची में भी दर्ज कर लिया है जिसे भारत सरकार का भेज दिया जायेगा1
9	श्री गुरमीत सिंह नि0 ग्राम अकालगढ ने व्यक्त किया कि उसकी लगभग डेढ बीघा भूमि नदी के किनारे लगती है जिसमें अवैध खनन होने के कारण केवल 10 बिस्वा ही भूमि रह गई है जिसे रोका जाये1	प्रबन्धन वर्ग ने स्पष्ट किया कि वह केवल अपनी लीज भूमि पर ही खनन का कार्य करेगें तथा आशवासन दिया कि किसी के निजी भूमि से किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जायेगा 1
10	श्री रफीक अहमद उप प्रधान ग्राम पंचातय नवादा ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्त किया कि खनन का कार्य केवल निर्धारित स्थल पर ही किया जाना चाहिये 1 बताया कि केशरो पर ट्रैक्टर दिन रात चलते रहते है तथा सडकों का	प्रबन्धन वर्ग ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा केवल लीज भूमि पर ही संग्रह/खनन का कार्य ही किया जा रहा है तथा आश्वासन दिया कि विभाग द्वारा

	काफी नुकसान हुआ है1 उन्होनें व्यक्त किया केशर वालो ने पीने के पानी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था जो पूरा नही किया गया1 नदी पर 10–10 फुट गडडे डाल दिये गये है खनन कार्य को आगामी स्वीकृति ना देने का आग्रह किया1	निर्धारित मापदण्डो तथा नियत स्तर की गहराई तक ही केवल लीज भूमि पर खनिजों का संग्रह/खनन किया जायेगा1
11	श्री इस्लाम अली नि0 ग्राम नवादा ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्त किया केशरो के द्वारा कार्य सही रूप से किया जा रहा है तथा नदी से खनिजों के खनन करने से कृषि भूमि का कटाव नहीं हो रहा है तथा मांग कि खनन का कार्य सही रूप से किया जाता रहे ताकि उनकी कृषि भूमि का बचाव होता रहे 1 उन्होने व्यक्त किया कि खनन कार्य से स्थानीय लोगो को रोजगार मिला हुआ है तथा इस का समर्थन किया1	प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया कि वह केवल अपनी लीज भूमि पर ही निर्धारित मापदण्डो के अन्तगर्त से खनन का कार्य करेगें 1
12	श्री सलीम अहमद नि0 ग्राम नवादा ने व्यक्त किया कि खनन कार्य से कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है अपितु खनन कार्य से कृषि भूमि का कटाव होना बन्द गया है तथा लोगो को रोजगार मिला हुआ है1 उन्होने से इसका समर्थन किया1	प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया कि वह केवल अपनी लीज भूमि पर ही निर्धारित मापदण्डो के अन्तगर्त से खनन का कार्य करेगें
13	श्री शमशुदीन नि0 ग्राम नवादा ने व्यक्त किया कि खनन कार्य से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तथा लोगो को रोजगार मिला हुआ है1 उसके द्वारा खनन कार्य करने का समर्थन किया गया1	यथोपरि
14	श्री टीपू सुल्तान नि0 ग्राम नवादा ने व्यक्त किया कि खनन कार्य से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तथा लोगो को रोजगार मिला हुआ है तथा लोगो की तरक्की हुई है तथा इसका समर्थन किया 1	यथोपरि
15	श्री गुरजीत सिंह नि0 ग्राम आम्बवाला ने व्यक्त किया कि खनन कार्य से ट्रैक्टर मालिको को रोजगार मिला हुआ है तथा समर्थन किया 1	प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया कि खनन कार्य के लिये स्थानीय लोगो का ही प्राथमिकता प्रदान की जायेगी1
16	श्रीमति महिन्द्र कौर नि0 ग्राम छावनीवाला ने व्यक्त किया कि केशर वालो द्वारा अवैध खनन किया जा रहा हैतथा उनकी निजी भूमि से भी खनिजों को उठाया जा रहा है तथा उन्हें रोका जाये तो वह लडाई करने लग जाते है1	प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया कि वह केवल अपनी लीज भूमि पर ही निर्धारित मापदण्डो के अन्तगर्त से खनन का कार्य करेगें तथा किसी की निजी भूमि से किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जायेगा1
17	श्रीमति दलीप कौर नि0 ग्राम छावनीवाला तहसील पांवटा साहिब ने व्यक्त किया कि केशर वालो द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है तथा यदि वे अपनी निजि भूमि से रेत बजरी उठाते है तो उन्हें उठाने नहीं दिया जाता है1	प्रबन्धन वर्ग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा किसी को भी उनकी निजि भूमि से खनन के लिये नहीं रोका है तथा आश्वासन दिया कि केवल अपनी लीज भूमि पर ही खनन का कार्य किया जायेगा1
18	प्रधान कान्ति महिला मण्डल नवादा ने व्यक्त किया कि खनन का कार्य सही रूप से किया जाये तथा नदी किनारे गंदगी फैलाई जा रही है उसे रोका जाये1	प्रबन्धन वर्ग आश्वासन दिया लीज भूमि पर लगे मजदूरों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को रोकने के पर्याप्त उपाय किये जायेगें तथा उनके लिये शौचलायों का निर्माण करवाया जायेगा1
19	श्री गुरविन्द्र सिंह नि.हरिपुर टोहाना ने जन सुनवाई के दौरान जानना चाहा कि भारत सरकार द्वारा कौन सी 10 शर्ते खनन कार्य को करने के लिये लगाई गई1 उन्होने व्यक्त किया कि जन सुनवाई का क्षेत्र में व्यापाक प्रचार नहीं करवाया गया1 उन्होने व्यक्त किया कि निजि भूमि पर से भी अवैध खनन किया जा रहा है इसके अतिरिक्त यह पता न है कि सम्बन्धित फर्म की लीज भूमि कहां पर स्थित है1 इसके	अधिशासी अभियन्ता प्रदूषण विभाग ने स्पष्ट किया कि 26.2.2014 को दो न्यूज पेपर में इस जन सुनवाई के लिये विज्ञापन प्रकाशित करवाये गये है तथा इलाका में ढोल पीट कर लोगो स्थानीय लोगो के बीच इस सुनवाई का व्यापक प्रचार भी करवाया गया है1 इसके

	अतिरिक्त व्यक्त किया कि खनन कार्य से वायु प्रदूषण हो रहा है फसलो को नुकसान हो रहा है पानी का जल स्तर नीचे चला गया है हैडपम्प तथा कुओं का पानी सुख गया है 1 प्रबन्धन वर्ग द्वारा खनन कार्य में लगे मजदूरों को कोई सुरक्षा के कोई प्रबन्ध नहीं किये गये है तथा ना ही उन्हें कोई सुविधाये दी जा रही है1 उनके द्वारा खनन कार्य का विरोध किया गया1	अतिरिक्त अधिकारी महोदय द्वारा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तो की मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से जन सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया 1 अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया है कि जन सुनवाई के दौरान खनन कार्य से होने वाले दुष्प्रभावों से लोगो द्वारा रखे गये विचारो को अक्षरक्ष भारत सरकार को भेज दिया जायेगा1 इसके अतिरिक्त प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा केवल लीज भूमि पर ही संग्रह/खनन का कार्य ही किया जा रहा है तथा आश्वासन दिया विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डो तथा नियत स्तर की गहराई तक ही केवल लीज भूमि पर खनिजों का संग्रह/खनन किया जायेगा1 उन्होने स्पष्ट किया उनके द्वारा लीज भूमि से जितना खनिजों का संग्रह/खनन किया जाता है उसका रिकार्ड रखा जाता है1
20	श्री नूर मोहम्मद अंसारी नि0 ग्राम नवादा ने व्यक्त किया उसके द्वारा भी स्टोन क्रेशन को अपनी भूमि लीज पर दी गई है तथा उससे खनन नहीं किया जाकर अन्य स्थान से खनन किया जा रहा है1 मांग की कि खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके एंव नियमानुसार किया जाये तथा नदी के पास पडे गडडो को भरा जाये1	प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया कि वह केवल अपनी लीज भूमि पर ही निर्धारित मापदण्डो के अन्तगर्त से खनन का कार्य करेगें 1
21	श्री तोहिक अहमद नि. नवादा ने व्यक्त किया कि बरसात के समय नदी में पानी आने से कृषि भूमि का काफी नुकसान होता था लेकिन नदी में खनन होते रहने से पानी का स्तर सही रहता है तथा कृषि भूमि का कटाव होना बन्द हो गया है तथा खनन कार्य करने के लिये अपनी सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि इससे कृषि योग्य भूमि का बचाव हो रहा है तथा इसका समर्थन किया	यथोपरि

हि.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री शारदा शर्मा ने जन सुनवाई मे पुनः आह्वान किया कि यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो जन सुनवाई के दौरान निःसकोंच बता सकता है1 इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सुझावो एंव आपत्तियों का सारांश पुनः दोहराते हुये बताया कि मैसर्स आलस्टोन माईसं एण्ड मिनरल्स प्रा0 लि0 ग्राम रामपुरघाट डा0 शिवपुर तहसील पांवटा साहिब द्वारा अपनी रामपुरघाट मे स्थित लीज भूमि खसरा नम्बर 431/322/1 तादादी 19–8416 भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन को3.0 लाख टन प्रतिवर्ष करने के पक्ष में कुछ लोगो सहमति व्यक्त की गई है तथा कुछ लोगो द्वारा असहमति व्यक्त की गई तथा प्रबन्धन वर्ग द्वारा उनकी आपत्तियों का उत्तर व आश्वासन जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया1 कोई अन्य आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई को समाप्त करने अनुमति चाही1

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हि.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा जन सुनवाई का मंच उनकी सुनवाई हेतु प्रदान किया गया है तथा केवल विषय वस्तु एंव पर्यावरण की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये तथा हर्ष व्यक्त किया कि पर्यावरण को लेकर लोग काफी जागरूक हुये है1 उन्होने

आहवान किया कि प्रबन्धन किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीके से खनन का कार्य नही करें जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पडें । उन्होने कहा विकास के लिये पर्यावरण संतुलन को बनाये रखना चाहिये तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि आने वाली पीढी को कोई नुकसान न हो 1 उन्होने पुनः दोहराया कि आज की जन सुनवाई के दौरान प्राप्त किये गये लोगो के बहुमूल्य सुझावों तथा आपत्तियों को अक्षरक्ष भारत सरकार को भेज दिया जायेगा1

अन्त में अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुये जन सुनवाई सम्पन्न हुई 1

अध्यक्ष
अतिरिक्त उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन, हि0प्र0